कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर

पत्रांकः—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः

सेवामें,

अधीक्षण अभियन्ता,
गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0,
गोण्डा।

विषय :— गाटा संख्या—224 ग्राम मदरहवा, परनगा तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— प्रभारी अधिकारी(आयुध)/ जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर का पत्रांक 1652/आ0लि0 (अना0प्र0पत्र)/20 दिनांक अक्टूबर 09, 2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त मानचित्र तुलसीपुर, कोयलाबासा मार्ग (प्र0जि0मा0) के किमी0 7 चैनेज 6.800 ग्राम मदरहवा, परनगा तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में गाटा सं0— 224 पर सड़क के बायीं ओर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु निम्न शर्तो के साथ अनापत्ति प्रमाण संस्तुति सहित आपकी सेवा में प्रेषित है।

1. जनपद बलरामपुर में तुलसीपुर कोयलाबासा मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 7 चैनेज 6.800 ग्राम मदरहवा, परनगा तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में गाटा सं0— 224 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) सड़क के मध्य बिन्दु के बायीं ओर स्थापित करने हेतु मानचित्र प्रस्तावित है।
2. मार्ग के लेपित सतह के मध्य बिन्दु के दायीं ओर 18.30 मी0 (60फीट) की दूरी तक कोई भी निर्माण न कराया जाये एवं उसके बाद ही रिटेल आउटलेंट स्थापित किया जाये।
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय मिट्टी की पटाव एवं सर्विस रोड आदि का निर्माण मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 30 सेमी0 नीचे रखा जाये, जिससे मार्ग की लेपित सतह पर जलभराव न हो तथा रिटेल आउटलेट की तरफ 2 प्रतिशत का स्लोप रहना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.60 मी0 पक्की ड्रेन बनायी जाये तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाये ताकि वाहनों के आवागमन मे असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
5. सड़क के रिटेल आउटलेट तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 1.00 मी0 व्यास की एन0पी0—3 हयूम पाईप/ आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाये। Declaration and aceleration lane का निर्माण पेट्रोल पम्प स्वामी स्वयं की भूमि पर मानचित्र के अनुसार करेगा।
6. भू—स्वामित्व की जिम्मेदारी लोनिवि पर नहीं होगी। भू—स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगें। भू—स्वामित्व होने संलग्न किराये नामें की दशा में ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा, अन्यथा की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः निरस्त माना जायेंगा।
7. इन एवं इग्जिट हेतु इस प्रकार साइन बोर्ड लगाये जाये कि वाहनों को स्पष्ट दिखाई दे एवं मार्ग पर वाहनों के परिचालन में कोई असुविधा न होने पायें।
8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय यू0पी0रो0सा0ले0कं0—एक्ट—1945 में निहित शर्तो का पालन भी करना होगा।
9. मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आइटलेट (पेट्रोल पम्प) के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर द्वारा मानचित्र पर अंकित किये गये प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

10. जब भी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी तो मार्ग चौड़ीकरण हेतु आवश्यक भूमि भू–स्वामित्व को भूमि उपलब्ध करानी होगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

11. लोनिवि की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।

12. प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि यदि न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

13. एक वर्ष तक प्रस्तावित निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर पेट्रोल पम्प स्वामी को पुनः अनुमति लेनी होगी। यह एन0ओ0सी0 Provisional है। उपरोक्त शर्तो का पालन न करने पर रिटेल आउटलेट की संस्तुति निरस्त समझी जायेगी।

14. मानचित्र पर अंकित कतिपय प्रतिबन्धों एवं उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं आई0आर0सी0–12–2009 का तथा एम0ओ0आर0टी0एच0 के पत्रांक आर0डब्लू0 / एन0एच0–33023 / 19 / 99–डी0ओ0–III दिनांक 24.07.2013 तथा "The Uttar Pradesh guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads 2019" में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा विभाग के विरूद्ध कोई भी Claim नहीं किया जा सकता।

15. प्रमुख अभियन्ता सामान्य वर्ग, लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र संख्या 17974एम0टी0 / सामान्य वर्ग / 60एम0टी0 / 1999 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से प्राप्त शासनादेश संख्या 1882 / 23–12–19–1365 / 17टी.सी. दिनांक 04.12.2019 द्वारा प्रख्यापित्त गाइडलाइंस "The Uttar Pradesh guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads 2019" में वर्णित प्रतिबन्धों के अनुसार 10 वर्ष के पश्चात पुनः निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रू0 दस हजार मात्र) जमा करने एवं शर्तो के अनुपालन करने पर लाईसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा। शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री उबेदुल्ला अंसारी पुत्र मो0 जुम्मन अंसारी निवासी ग्राम गुरचिहवा, तहसील तुलसीपुर जनपद बलरामपुर पर बाध्यकारी होगा।

16. श्री उबेदुल्ला अंसारी पुत्र मो0 जुम्मन अंसारी निवासी ग्राम गुरचिहवा, तहसील तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा लाइसेन्स फीस यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बलरामपुर के ड्राफ्ट संख्या 045497 दिनांक 05.07.2021 द्वारा रू0 300000.00 एवं प्रोसेसिंग फीस बैंक ड्राफ्ट संख्या 045498 दिनांक 05.07.2021 रू0 10000.00 द्वारा जमा किया जा चुका है।

17. "The Uttar Pradesh guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD roads 2019" के अपेण्डिक्स III में वुर्णित लाइसेन्स डीड रू0 100.00 (आयल कम्पनी / पेट्रोल पम्प मालिक एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बलरामपुर द्वारा हस्ताक्षरित) करने के उपरान्त अग्रसारित किया जा रहा है।

संलग्नक :– 1. मानचित्र की 3 प्रतियां चेकलिस्ट सहित

2. खतौनी की छायाप्रति

3. जिलाधिकारी के संदर्भित पत्र की छायाप्रति

4. यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बलरामपुर का ड्राफ्ट संख्या 045497 दिनांक 05.07.2021 रू0 300000.00 एवं संख्या 045498 दिनांक 05.07.2021 रू0 10000.00 की छायाप्रति

01.12.2021

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बलरामपुर।

पत्रांकः– / दिनांकः

प्रतिलिपिः– अवर अभियन्ता (प्रा0) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बलरामपुर को रिकार्ड हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बलरामपुर।

15/2/22
Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited